न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(टीना डाबी,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 201/2015
प्रविष्टि दिनांक 31.12.2015

1–मोहनलाल पुत्र प्रेम जाति गुर्जर निवासी मण्डावर तहसील व जिला टोंक राज.
2–बीना पुत्री प्रेम जाति गुर्जर निवासी मण्डावर तहसील व जिला टोंक राज.
3–सूरजा पुत्री लादी जाति गुर्जर निवासी मण्डावर तहसील व जिला टोंक राज.

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–कैलाशी पत्नी लादू जाति गुर्जर निवासी मण्डावर तहसील व जिला टोंक
2–संतोष पुत्री केसरा जाति गुर्जर निवासी मण्डावर तहसील व जिला टोंक
3–तहसीलदार टोंक राज.

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 1731 दिनांक 17.01.2001 तहसीलदार टोक

उपस्थिति –(1) श्री जितेन्द्र जैन,अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री राजेश गुर्जर प्रथम,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या–1

निर्णय **दिनांक 29.04.2026**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 17.01.2001 को नामान्तकरण संख्या 1731 दिनांक 17.01.2001 वाके ग्राम मण्डावर के खाता संख्या 698 किता– 3 रकबा 11 बीघा हिस्सा 1/5 व खाता संख्या 699 किता– 1 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा हिस्सा 1/4 तथा खाता संख्या 915 किता 1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा हिस्सा सम्पूर्ण मे खातेदार लादू पुत्र केसरा कोम गुर्जर साकिन देह की विरासत कैलाशी बेवा लादू कोम गुर्जर साकिन देह के नाम दर्ज करते हुये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है,जो विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गयी। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट्स एंव अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मृतक केसरा गुर्जर के वारिसान है। केसरा गुर्जर का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

जिला कलेक्टर
टोंक

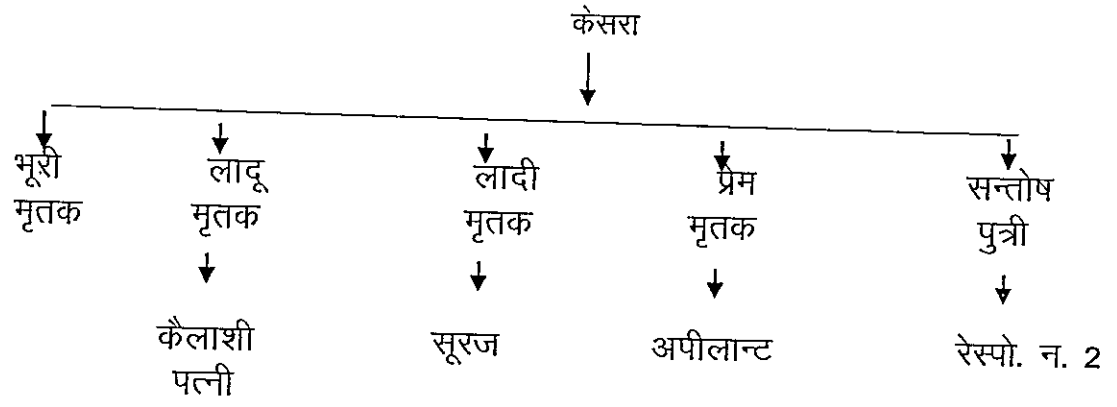

उक्त सजरे के अनुसार केसरा के एक पत्नी,एक पुत्र व तीन पुत्रीया थी,भूरी की मृत्यु हो चुकी है। भूरी का हिस्सा उसके सभी वारिसान मे निहित होना चाहिये था तथा प्रेम की भी मृत्यु हो चुकी है,जिसका हिस्सा अपीलांट्स मे निहित होना चाहिये था। अपीलांट्स प्रेम के वारिसान है,परन्तु तहसीलदार टोंक ने बिना किसी जांच व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपीलांट्स की माता प्रेम की विरासत का नामान्तकरण रेस्पो. संख्या 1 व 2 के नाम तस्दीक किया है। तहसीलदार टोंक ने नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतको के वारिसान के सबंध मे वास्तविकता की जांच नही की है। विरासत का नामान्तकरण सर्व प्रथम 45 दिन मे ग्राम पंचायत द्वारा मजमे आम मे बाद जांच भरा जाकर स्वीकार किया जाना चाहिये था,परन्तु रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियो से मिली भगत करके बिना किसी जांच के अपने नाम तस्दीक करवा लिया है जो अपीलांट्स के हितो के विपरित है। अपीलांट्स अनपढ,ग्रामीण काश्तकार है जिनको उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। इस प्रकार के नामान्तकरण को चुनोती देने की कोई मियाद नही है। न्यायहित मे विलम्ब माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जाना आवश्यक है,इस बाबत प्रार्थना पत्र अ.धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है। वारिसान की जांच होना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पो0 स. 1 ने अपीलांट्स कि बहस को ही अपनी बहस माने जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 17.01.2001 को नामान्तकरण संख्या 1731 दिनांक 17.01.2001 वाके ग्राम मण्डावर के खाता संख्या 698 किता– 3 रकबा 11 बीघा हिस्सा 1/5 व खाता संख्या 699 किता– 1 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा हिस्सा 1/4 तथा खाता संख्या 915 किता 1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा हिस्सा सम्पूर्ण मे खातेदार लादू पुत्र केसरा कोम गुर्जर साकिन देह की विरासत कैलाशी बेवा लादू कोम गुर्जर साकिन देह के नाम दर्ज करते हुये उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अभिभाषक अपीलांट्स का तर्क है कि नामान्तकरण का आदेश पारित किये जाने से पूर्व रेस्पोडेण्ट सं. 3 (तहसीलदार) द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व वारिसान की जांच नही की गई है। प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि निर्णय पारित करने से पूर्व पक्षकारान की सुनवाई करना आवश्यक है। अपीलाधीन नामान्तकरण की परत पर पटवारी हल्का मण्डावर द्वारा मृतक के वारिसान का सजरा अंकित नही किया है। भू–अभिलेख निरीक्षक हथौना द्वारा भी अपनी जांच रिपोर्ट मे वारिसान का अंकन नही किया है। पटवारी हल्का मण्डावर को गांव के मोतविरान लोगो के समक्ष मृतक के वारिसान की जांच कर मौका पर्चा बनाना चाहिये था। दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो. संख्या–1 ने भी अपीलांट्स कि बहस को ही अपनी बहस माने जाने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं0 1731 दिनांक 17.01.2001 वाके ग्राम मण्डावर तहसील टोंक निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि पक्षकारों की सुनवाई कर तथा वारिसान की जांच कर विधिवत निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर,टोंक
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)